संख्या-37/2020/873 /क.नि.प्र./26-3-2020-13(74)91

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, ,2020
समाज कल्याण विभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को अंशपूंजी की मद में धनराशि (राज्यांश) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्रांक-1205/लेखा अनुभाग/2020-21 दिनांक 20-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अंशपूंजी की मद में राज्यांश के रूप में रू0 2,28,57,000/- (रू. दो करोड़ अट्ठाइस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि राज्यांश के रूप में उक्त निगम को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- प्रश्नगत स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 एवं 11-04-2020 एवं 29-09-2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों/व्यवस्थाओं के अधीन ही आहरित/व्यय की जायेगी।
3- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व एवं बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- वित्त बजट अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

9- प्रश्नगत कार्य हेतु निवेश/ऋण का भुगतान सुसंगत नियमों के अनुसार किया जाना सुनश्चित करेंगे।

10-उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।

11- यह अंशपूंजी रू. 100/- मूल्य के इक्यूटी शेयर्स के रूप में होगी। कृपया इतनी संख्या के शेयर महामहिम श्री राज्यपाल के नाम जारी कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चुकता अंशपूंजी के सभी शेयर जारी/आवंटित हो चुके हैं।

12- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकारउ.प्र. प्रयागराज को यथा समय उपलब्ध करा दिये जायेगें। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1, अध्याय-16-ए के नियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय-(के.49/रा.51-के+रा.)-30 निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, एवं शासनदेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-4-ई-968-/दस/2020 दिनांक 28 दिसम्बर,2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ.संख्या-37/2020/873(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता)
8. वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण,उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in